न्यायालय–मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, भोपाल मध्य प्रदेश

जावक क्रमांक– 256/2023 भोपाल, दिनांक– 15/12/23

//विविध आदेश//

माह **जनवरी 2024** के शासकीय अवकाश के दौरान आवश्यक आपराधिक एवं रिमाण्ड कार्य को निष्पादित करने के लिए जिला न्यायालय भोपाल के निम्नानुसार न्यायिक मजिस्ट्रेट की डयूटी सुनिश्चित की जाती हैं। सम्बन्धित मजिस्ट्रेट अपने न्यायालयों में दिन में 3:00 बजे से 5:00 बजे तक आवश्यक एवं रिमाण्ड कार्य सम्पादित करेंगेः–

क्र	न्यायिक अधिकारी का नाम	जनवरी 2024
1	श्रीमती प्रत्यक्षा कुलेश जे.एम.एफ.सी.	1
2	सुश्री सिल्की कौर जुनेजा, जे.एम.एफ.सी.	7
3	सुश्री एकता ठाकुर जे.एम.एफ.सी.	13
4	श्रीमती शीला मैना यादव जेएमएफसी	14
5	श्री रजनीश ताम्रकार जे.एम.एफ.सी.	15
6	श्रीमती अंकिता श्रीवास्तव जे.एम.एफ.सी.	20
7	सुश्री पूर्णिमा सैयाम जे.एम.एफ.सी.	21
8	श्रीमती पूजा पाठक बौरासी जे.एम.एफ.सी.	26
9	श्रीमती अश्विनी सिंह जे.एम.एफ.सी.	28

नोटः–

1. माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय के यथानिर्देशानुसार यदि कोई न्यायिक मजिस्ट्रेट रिमांड डयूटी अवधि को शामिल करते हुए **मेडिकल अवकाश, अर्जित अवकाश, आकस्मिक या ऐच्छिक अवकाश** का आवेदन प्रस्तुत करते है अथवा **प्रशिक्षण में या मुख्यालय से बाहर** जाते हैं तो वे मुख्यालय पर उपस्थित अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेट से अपनी रिमांड डयूटी करने की सहमति एवं स्वीकृति आवश्यक रूप से लेकर आवेदन पत्र प्रस्तुत करेंगे अथवा अवकाश पर रहने या मुख्यालय से बाहर जाने वाले न्यायिक अधिकारी का रिमांड **कार्य विभाजन पत्रक की अनुसूची क.–1** के अनुसार प्रभारी अधिकारी द्वारा किया जाएगा।

2. उक्त अवकाशों के अतिरिक्त यदि किसी अन्य दिवस पर कोई अवकाश अचानक घोषित किया जाता है तो निम्नानुसार न्यायिक दंडाधिकारीगण रिमाण्ड डयूटी संपादित करेंगेः–

1. माह जनवरी 2024 में श्री संदीप कुमार नामदेव जे.एम.एफ.सी.भोपाल

3. उक्त शासकीय अवकाशों में यदि पुलिस विभाग द्वारा **काम्बिंग गश्त** की जाती है तो निम्नानुसार अतिरिक्त न्यायिक दण्डाधिकारीगण उक्त रिमाण्ड डयूटी संपादित करेंगे :–

1. **माह जनवरी 2024 में सुश्री लघुता मरकाम जे.एम.एफ.सी.,** भोपाल

4. पीठासीन अधिकारी का स्थानांतरण हो जाने की दशा में उनके स्थान पर उनके न्यायालय में आये पीठासीन अधिकारी द्वारा या कार्य विभाजन पत्रक की अनुसूची क.–1 के अनुसार प्रभारी अधिकारी द्वारा रिमाण्ड

ड्यूटी संपादित की जावेगी। तत्संबंध में पृथक से कोई आदेश पारित नहीं होगा।

5 माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय के यथानिर्देशानुसार यदि कोई अधिकारी अपरिहार्य कारण से रिमाण्ड ड्यूटी आपसी सहमति से बदल लेते है तो उसकी पूर्व सूचना मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, भोपाल को देनी होगी। इसके अलावा अन्य किसी भी कारण से रिमाण्ड ड्यूटी परिवर्तित नहीं होगी।

(अमर सिंह सिसोदिया)
मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी,
भोपाल
15.12.2023

अनुमोदित

अमिताभ मिश्र
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
भोपाल म0प्र0